न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–712/2026</u>
<u>अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–737/2026</u>
सिकटी थाना कांड संख्या– 78/2026

अकसीना खातून उर्फ अकसीना एवं 08 अन्य.....आवेदकगण
बनाम
राज्य सरकार

उपस्थितिः–
वास्ते आवेदकगणः–श्री मो0 इरसाद आलम, श्री देव नारायण सेन, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजनः–श्री राजानंद पासवान, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
वास्ते सूचिकाः–श्री के0एन0 विश्वास, विद्वान अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

<u>05-08-2026</u> आवेदकगण/अभियुक्तगण 1.अकसीना खातून उर्फ अकसीना, पति–नौशाद राय, 2.बीबी नेहा खातून उर्फ नेहा प्रवीण, पिता–नौशाद राय, 3.लाड बाबू, पिता–नौशाद राय, 4.इमरान आलम, पिता–जहीरो की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–712/2026 एवं 5.मो0 मुसर्रफ, पिता–इसराईल, 6.मो0 इसराईल, पिता–भौसा उर्फ रहीमुद्दीन, 7.अशरा खातून, पति–मो0 इसराईल, 8.असमीना खातून उर्फ असमीन, पति–आकिल एवं 9.नफीश उर्फ नफीसुल होदा, पिता–नूर होदा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–737/2026 अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो सिकटी थाना कांड संख्या– 78/2026, अंतर्गत धारा– 140(3), 140(2), 61(2), 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचिका खुशबु बेगम के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि उसकी लड़की खुशनुमा खातुन को मुशर्रफ ने 15 दिन पूर्व बहला फुसलाकर लेकर भाग गया था। उसके बाद गाँव के लोगो ने पंचायती किया। उसके बाद उसकी लडकी को लाकर दे दिया और पंचो के समक्ष बोला की भविष्य में गलती नहीं करेंगे। फिर दिनांक 17.03.2026 को समय करीब 1 बजे रात को उसकी लड़की को लेकर भाग गया और प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण के सहयोग से लेकर भागा है। उसकी लड़की लगभग 03 भरी सोना तथा 70 भरी चाँदी का जेवर शरीर पर पहनी हुई थी, चॉदी का जेवर शरीर पर पहनी हुई थी, उक्त लोगो को बोली कि मेरी लड़की को सही सलामत मुझे दे दीजिये तो उक्त सभी लोग धमकी दिया है कि हमलोगों को परेशान किया, तो तुम्हारी लड़की को जान से मार कर नेपाल में फेक देंगे।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदकगण के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण का कथित घटना से कोई सरोकार नहीं है। कथित घटना का कोई

लगातार.....

लगातार.....

05.08.2026 चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अपहृता का धारा 183 बी0एन0एस0एस0 का बयान है, जिसमें अपहृता ने अपहरणकर्ता का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 140(3), 140(2), 61(2), 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदकगण प्राथमिकी का नामजद अभियुक्तगण है। कांड दैनिकी के पारा 31 में अपहृता खुशनामा खातून का धारा 180 बी0एन0एस0एस0 का बयान है, जिसमें उन्होंने कही है कि मेरे साथ किसी के द्वारा कुछ गलत नहीं किया गया। अभिलेख के साथ अपहृता खुशनामा खातून का धारा 183 बी0एन0एस0एस0 का बयान है, जिसमें उन्होंने कही है कि दिनांक 17 मार्च 2026 को रात के करीब 12 बजे मैं बाथरूम करने गयी, अचानक एक इंसान आया और मेरे चेहरे पर रूमाल लगा दिया। उसके बाद मुझे इतना ध्यान नहीं है। शायद गाड़ी में बैठाया और कहीं ले जाकर रूम में बंद कर दिया। जब मुझे होश आया तो पता लगा कि मेरे ही गांव का 5–6 इंसान वहां पर थे, मुमताज, नौशाद और का नाम पता नहीं है। शहबाज का कार था। बात कर रहे थे। कान में बाली था, पैर में पायल, नाक में बेसर था। सभी चीज ले लिया। मैं 17 तारीख को निकली थी, किडनैप हुई थी। बाद में पुनः कहती है करीब 4–5 दिन बाद मैं वहां से भाग गयी, भागकर मैं टोटो पकड़कर बहादुरगंज गयी, वहां एक रिश्तेदार के यहां गयी। वही लोग मुझे पुलिस थाना में छोड़कर चले गये। आवेदकगण के विरूद्ध जघन्य एवं गंभीर प्रकृति का आरोप है। मामले में अभी अनुसंधान जारी है। अतः ऐसी परिस्थिति में आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।